न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 68 / 2014

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गिर्राज दत्तक पुत्र जुग्गी जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर

––वादी

बनाम

1. बच्चूलाल | पुत्रान जुग्गी जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर (भरतपुर)
2. छोटेलाल |
3. मुस0 कंपूरी पुत्री जुग्गी जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर
4. तहसीलदार तहसील नगर
5. गोविन्द पुत्र ग्यासी जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर
6. जीवनी पुत्री स्व0 झम्मन जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर
7. मौजीराम पुत्र ग्यासी जाति धोबी निवासी गुलपाडा तह0 नगर
8. रतनलाल पुत्र दीपचंद जाटव, अध्यक्ष जाटव समाज गुलपाडा
9. अमरसिंह पुत्र पन्नी जाटव उपाध्यक्ष जाटव समाज गुलपाडा तह0 नगर
10. देवीराम पुत्र कुन्दनलाल जाति जाटव निवासी गुलपाडा तह0 नगर
11. मोहर सिंह | पिस0 दीपचंद जाति जाटव निवासी गुलपाडा तह0 नगर
12. विजय सिंह |
13. किशन सिंह |
14. सुरेश चंद |

––प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री गजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वादी
2. श्री सुनीलदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2018

वादी ने यह दावा दिनांक 07.09.2001 को संस्थित किया जो दिनांक 09.03.2006 को निर्णित किया जाकर दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील संख्या 06 / 13 प्रस्तुत हुई जिसका दिनांक 30.04.14 को निर्णय पारित कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए सभी सह खातेदार काश्तकारों को पक्षकार बनाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा व घोषणा खातेदारी बावत् पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । अपीलीय निर्णय की पालना में वादी ने

यह संशोधित दावा इस आशय का संस्थित किया है कि वादी के मूल पिता का नाम ग्यासी है, वादी का चाचा जुग्गी के कोई लडका नही था इसलिए वादी के चाचा जुग्गी ने वादी को सन् 1943 के आस–पास वादी के मूल पिता ग्यासी से गोद ले लिया था उसके बाद वादी का पालन–पोषण, शादी–ब्याह आदि जुग्गी ने ही किये थे । वि0आ0ख0नं0 10/0.55, 453/0.01, 752/0.47 किता 3 रकबा 1.03 हैक्टे0 एवं ख0नं0 457/0.28, 304/0.63, 474/0.05, 458/0.27, 238/0.51 व ख0नं0 475/0.19 बाके ग्राम गुलपाडा तह0 नगर में वादी का पिता जुग्गी अपने हिस्से पर काबिज हरकर काश्त करता रहा । वादी को गोद लेने के पश्चात् वादी के पिता जुग्गी के दो लडके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पैदा हो गये थे, इसलिए वादी के पिता जुग्गी ने यह सोचकर कि तीनो भाईयों मे आपस में विवाद नही हो साढे तीन बीघा भूमि वादी को सन् 1955 के माह बैसाख में पारिवारिक बंटवारा में ख0नं0 457/0.28, 458/0.27, 10/0.55 का 1/2 भाग वादी को दे दिया । वादी अपने मूल पिता ग्यासी से जुग्गी के गोद आ गया इसलिए वादी को ग्यासी की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति में से कोई हिस्सा प्राप्त नही हुआ तथा उसकी सम्पत्ति अन्य भाईयों में निहित हो गई । वादी के पिता जुग्गी का देहांत होने के पश्चात् प्रति0 संख्या 1, 2, 3 के मन में बदयांती आ गई तथा वे वादी को हिस्सा नही देना चाहते हैं जबकि वादी का पारिवारिक बंटवारे में मिली साढे तीन बीघा पर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी किस्म का नही है फिर भी प्रतिवादी0 वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा वादी को बेदखल करना चाहते हैं जिसकी बावत् प्रतिवादी0 ने एलानियां धमकी दी है । विदि वजह वादी डिक्री खातेदारी घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने का अधिकारी है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 457/0.28, 10/0.55, 458/0.27 का 1/2 भाग बाके गुलपाडा से जुग्गी का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे व वादी के पक्ष्ज्ञ में विभाजन की डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादी0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें ।

प्रतिवादी संख्या 1 बच्चूलाल एवं प्रतिवादी संख्या 3 मुस0 कम्पूरी द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया है जो क्रमशः 23/11/2001 एवं 01/07/2002 को न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया जो पत्रावली में शामिल है । प्रतिवादी संख्या 5 से 9 एवं 11 से 14 के विरूद्ध दिनांक 12/04/2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रतिवादी संख्या 10 का दिनांक 29/06/2017 को जबाव बंद किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी गिर्राज को वादी 1 व 2 के पिता जुग्गी ने कभी गोद नही लिया क्योंकि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की उम्र में कोई ज्यादा अन्तर नही है इसलिए गोद लेने का सवाल ही पैदा नही होता । वादी जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर हिस्सा लेकर हडपना चाहता है । दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिल खारिज है । सहकाश्तकारों को न तो पूर्व में कोई परेशानी थी और न ही अब कोई परेशानी है, इसलिए उन्हें गलत रूप से पक्षकार बनाया है । इसलिए दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादी विवादित आराजी पर अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के कुरे कायम कराकर स्वयं का पृथक खाता व लगान कायम कराकर खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
2. आया वादी विवादित आराजी पर प्रति0 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
3. आया दावा वादी में सहकृषकों को पक्षकार न बनाने से नॉन जोईन्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज का दोष खारिज है । इस आधार पर दावा खारिज योग्य है ? —— जिम्मे प्रति0
4. आया तहसीलदार की फौरमल प्रतिवादी न बनाकर आवश्यक पक्षकार बनाना था । इसका दावे पर क्या असर है ? —— जिम्मे
5. आया दावा वादी में Q—6—R—16 CPC का दोष है । इससे दावा वादी काबिल खरिजी के है ? —— जिम्मे
6. आया दफा0 80 सीपीसी का का नोटिस देना अनिवार्य था ? इसका दावे पर क्या असर है? —— जिम्मे
7. आया न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है ? इसका दावे पर क्या असर है ? —— जिम्मे
8. दादरसी ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी के बयान पी0डब्ल्यू0—1, गवाह जुहरू के बयान पी0डब्ल्यू0—2 एवं हरचंद गवाह पी0डब्ल्यू0—3 कराये गये । दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं0 2057 लगायत 2060 प्रदर्श—1, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2057 लगायत 2060 प्रदर्श—2 एवं नकल आदेश दिनांक 07.12.2004 उनवानी छोटेलाल बनाम गिर्राज प्रदर्श—3 तथा नकल वाद पत्र प्रदर्श—4 व नकल जमाबन्दी सं0 2061 लगायत 2064 प्रदर्श—5 तथा छाया प्रति राशन कार्ड गिर्राज पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की । प्रतिवादी छोटेलाल ने मौखिक साक्ष्य में अपने स्वयं के बयान डी0डब्ल्यू0—1 व गवाह सोहनलाल के बयान डी0डब्ल्यू0—2 कराकर अपनी साक्ष्य समाप्त की ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की वहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है —

तनकी नं0 1 व 2 :— दोनो तनकियां एक दूसरे से संबंधित है इसलिए दोनो तनकियों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है । इन दोनो तनकियों को साबित करने का भार वादी पर है । वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादी को उसके चाचा जुग्गी द्वारा गोद लिया था लेकिन गोद लेने के पश्चात् जुग्गी के दो लडके एवं एक लडकी प्रति0 संख्या 1, 2, 3 पैदा हो गये । जुग्गी ने अपने जीवन काल में ही अपनी 14 बीघा जमीन में से 1/4 हिस्सा

साढे तीन बीघा ख0नं0 452/0.28, 458/0.27, 10/0.55 का 1/2 हिस्सा वादी को दे दिया ताकि परिवार में कोई विवाद नही हो । इस प्रकार के पारिवारिक विभाजन को स्वीकार करते हुए प्रति0 संख्या 1 व 3 ने वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया है इसलिए वादी के पारिवारिक बंटवारे में आई जमीन पर खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन की डिक्री जारी की जावे ।

प्रति0 संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस तर्क किया कि वादी ने यह दावा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है । वादी को प्रति0 के पिता जुग्गी ने कभी गोद नही लिया क्योंकि वादी एवं प्रति0 संख्या 1 व 2 की उम्र ममें कोई ज्यादा अंतर नही है तथा ना ही वादी ने कोई लिखित गोदनामा प्रस्तुत किया है । लिहाजा दावा खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2057–60 प्रदर्श–1 बाके ग्राम गुलपाडा में आ0ख0नं0 10/0.55, 238/0.51, 304/0.63, 453/0.01, 457/0.28, 474/0.05, 752/0.47 किता 7 रकबा 2.50 हैक्टे0 की बावत् –'' गोविन्दा, झम्मन, मौजीराम पिस0 ग्यासी बहि0बराबर निस्फ जुग्गी बल्द बोदन निस्फ कौम धोबी सा0देह खातेदार'' दर्ज है । नकल जमाबंदी सं0 2061–64 प्रदर्श–5 में आ0ख0नं0 10/0.55, 238/0.51, 304/0.63, 453/0.01, 752/0.47 की बावत् – ''गोविन्दा, झम्मन, मौजीराम पिस0 ग्यासी बहि0बराबर निस्फ जुग्गी वल्द बोदन निस्फ कौम धोबी सा0देह खातेदार'' तथा ख0नं0 458/0.27 की बावत् – ''देवीराम वल्द कुन्दन लाल कौम जाटव सा0देह खातेदार हि0 1/2 में से 0.16 पर गोविन्दा, झम्मन, मौजीराम पि0 ग्यासी कौम धोबी सा0देह खातेदार 0.07 पर व गुग्गी वल्द बोदन निस्फ कौम धोबी सा0देह खातेदार'' दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 197, 665, 297 पर आ0ख0नं0 10/0.55, 457/0.28, 458/0.27 की बावत् उपरोक्तानुसार अन्य हिस्सेदारान के साथ जुग्गी पुत्र बोदन कौम धोबी निस्फ हिस्सा पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है । इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड के विवेचन से वि0आ0 जुग्गी पुत्र बोदन की खातेदारी की आराजी होना साबित है तथा प्रतिवादी बच्चू एवं अंगूरी ने वादी के पक्ष में राजीनाना प्रस्तुत कर उनके पिता द्वारा वादी को गोद लेना स्वीकार किया तथा पारिवारिक बंटवारे में पिता जुग्गी द्वारा वादी को ख0नं0 10/0.55, 457/0.28, 458/0.27 बाके ग्राम गुलपाडा में अपना 1/2 हिस्सा देना तथा आज तक मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 187/02 उनवानी छोटेलाल बनाम गिर्राज बगै0 प्रदर्श–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मृतक जुग्गी का दत्तक पुत्र है जैसा कि प्रति0 छोटेलाल ने अपने वाद पत्र में वर्णित सजरा में स्वयं

स्वीकार किया है । इस प्रकार यह बिन्दु निर्विवाद सत्य तथा दोनो पक्षों द्वारा स्वीकार है कि वादी गिर्राज को मृतक जुग्गी द्वारा गोद लिया गया जिससे वादी एवं प्रति0 संख्या 1, 2, 3 आपस में भाई बहिन हैं तथा वादी मृतक जुग्गी की आराजी में 1/4 हिस्से का हकदार है । इस प्रकार उक्त विवेचन से तनकी नं0 1 व 2 वादी के पक्ष में साबित होती है । अतः तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वहक वादी किया जाता है ।

तनकी नं0 1 व 2 का विस्तृत विवेचन किया जाकर वादी के पक्ष में निर्णय किया गया है जिससे अन्य तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक नही है तथा उक्त समस्त विवेचनानुसार दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है । आ0ख0नं0 10/0.55, 457/0.28, 458/0.27 बाके ग्राम गुलपाडा तहसील नगर से जुग्गी वल्द बोदन के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा जुग्गी की खातेदारी की अन्य भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का ही हिस्सा रहेगा, वादी का कोई हिस्सा नही होगा । प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करें । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 24/01/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर